## फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सूरजमल पिता श्री उदाजी गुर्जर नि. भचरड़िया पो. कुंदवा तहसील देवगढ जिला राजसमंद
—अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ जिला राजसमंद — प्रत्यर्थी

**किस्म मुकदमा**—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 51/2022**

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 12.09.2022** | |

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ द्वारा उपलब्ध करादी गई । परंतु वांछित सूचना का शूल्क 2/—रू प्रति पृष्ठ के स्थान पर 10/—रू प्रति पृष्ठ जमा करवाने से असंतोष व संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय को प्रेषित करने से प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये कमांकः सू.अ.अ. 2022/108—109 दिनांक 18.8.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी श्री सूरजमल पिता श्री उदा गुर्जर नि. भचरडिया पो. कुंदवा तहसील देवगढ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसीलदार, देवगढ के राजकीय वाहन की दिनांक 01 अगस्त, 2021 से 31 मई, 2022 तक की लॉग बुक की प्रमाणित प्रति दिनांक 16.06.2022 को चाही गई थी। दिनांक 23.06.2022 को पत्रांकः सू.अ./2022/54 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचनाएं नियम अवधि में उपलब्ध करवादी गयी, परंतु सूचना के कुल 70 पृष्ठ बनने से लिपिकीय त्रुटी से 70X2= 140 रूपये के स्थान पर 70X10=700 रू. वसूल लिये गये । यह त्रुटी भू राजस्व रिकार्ड की प्रति पृष्ठ 10.00 रू. शुल्क होने से भूलवश होने से अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की है अपीलार्थी श्री सूरजमल से भूलवश अधिक वसूल गये शुल्क 560/—रू. रिफण्ड करने की कार्यवाही कर अनुतोष प्रदान कर दिया जायेगा।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ द्वारा प्रतिलिपि शुल्क प्रति पृष्ठ 2/—रू. के स्थान पर 10/—रू. के हिसाब से जमा कराने हेतु अपीलार्थी को पत्रांकः सूचना/2022/52 दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

17.6.2022 को लिखा जाकर 140/–रू. के स्थान पर 700/–रू. की राशि जमा करवाई गई है। तहसीलदार, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 560/–रू. की राशि 07 दिवस के अंदर–अंदर पुनः लौटायी जाकर पावती रसीद इस न्यायालय को भिजवाई जाना सुनिश्चित करे । उक्त अपील प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**
**(जिला कलक्टर) राजसमंद**